न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 88/2019 दायरा दिनांक : 01.11.2019

उनवान

1– रामरतन आत्मज रामनाथ, जाति गूर्जर,

2– जयपाल आत्मज रामनाथ, जाति गूर्जर,

3– बूला आत्मज किशना, जाति गूर्जर,

4– बलराम आत्मज बिरधा, जाति गूर्जर,

5– तुलस्या आत्मज भैरूलाल, जाति गूर्जर,

6– कजोड़ आत्मज भैरू लाल, जाति गूर्जर,

निवासीगण ग्राम भीलखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– द्वारका लाल पुत्र लटूर, जाति गूर्जर,

2– कंचन बाई पुत्री लटूर, जाति गूर्जर,

3– राजीबाई पुत्री श्री लाल, जाति गूर्जर,

निवासीगण ग्राम भीलखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– घनश्याम पुत्र रामनाथ, जाति गूर्जर,

5– मोतीलाल आत्मज रामनाथ, जाति गूर्जर,

6– गोपाल लाल पुत्र रामनाथ, जाति गूर्जर,

7– कस्तूरीबाई पुत्री रामनाथ, जाति गूर्जर,

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8— गोरखीलाल पुत्र किशना, जाति गूर्जर,

9— भूमली पुत्री किशना, जाति गूर्जर,

10— पानाबाई बेवा भैरूलाल, जाति गूर्जर,

निवासीगण ग्राम भीलखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

11— सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खानपुर

12— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़

13— भू अवाप्ति अधिकारी परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रघुवीर गौड अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 3 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 25.07.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के मिसल नं0 524/प्रार्थना—पत्र/2019 (मि0नं0 753/दावा/2017) निर्णय दिनांक 23.10.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी घनश्याम ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पेश कर कथन किया कि ग्राम भीलखेड़ा, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ में जमाबंदी खतौनी सम्वत 2072 नया खाता संख्या 41 पुराना 41 की खसरा नम्बर 41 रकबा 19.02 बीघा, खसरा नम्बर 48 रकबा 5.16 बीघा, खसरा नम्बर 49 रकबा 5.16 बीघा, खसरा नम्बर 141 रकबा 10.13 बीघा व खसरा नम्बर 188 रकबा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी.ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

3.01 बीघा कुल 5 किता कुल रकबा 44.08 बीघा आराजियात स्थित है। उक्त आराजी के पूर्व खातेदार कालू लाल व दूधा थे जिसमें से दूधा ने अपना हिस्सा 1/2 कालू लाल को बेचान कर दिया था, इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण आराजी के एक मात्र मालिक व स्वामी तथा खातेदार कालूलाल हो गये तथा अपने जीवनपर्यन्त आराजी को काबिज काश्त करते रहे। कालूलाल व दूधा की मृत्यु हो चुकी है। उक्त आराजी कालू लाल की मृत्यु के बाद से उनके वारिसान के रूप में अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 4 लगायत 10 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त आराजी में दूधा का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। अपीलांट ने उक्त तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी साबित किया है । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादीगण अपीलांट का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, विधि एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को बिना किसी आधार व साक्ष्य के आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के प्रार्थना पत्र पर खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद बाबत खातेदारी घोषणा, राजस्व रेकार्ड की दुरूस्ती इन्द्राज व धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश कर दिया गया है लेकिन प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 ता 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. का पेश किये जाने पर वाद को बिना किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया अपनाये वादीगण अपीलांट के वाद को खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में न तो तनकी कायम की और ना ही अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवायी प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया और न ही प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 अपास्त किया जावे ।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, [redacted]

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था, जिसको दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के आधार पर खारिज कर डिक्री पारित की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को 1/2 हिस्से का बेचान वादीगण के दादा कालूलाल को करके कब्जा आराजी पर संभला दिया था तथा वादीगण निर्बाध रूप से गत 60 साल से भी अधिक समय से उक्त आराजियात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण अपीलांट खातेदार हैं तथा वादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के आधार पर विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र को बिना साक्ष्य एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा दावे में बिना तनकीयात कायम किये गुणावगुण पर सुनवाई किये जाने के पश्चात् ही मेरिट पर आदेश किया जाना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को बिना उचित साक्ष्य पेश करने व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश दिनांक 23.10.2019 पारित कर दिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा का था जो किसी भी प्रकार से विधि विरूद्ध नहीं है, वादीगण सहखातेदार हैं तथा प्रतिवादीगण मुआवजे की राशि हड़पना चाहते हैं । वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद विधि के प्रावधानों के तहत ही है । यहां यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि अपीलांट परिवारजन होने के कारण उक्त बेचान को तस्दीक किया है और न ही प्रतिवादीगण द्वारा आज तक कोई उज्र दावा पेश किया है । उक्त कृषि आराजी अवाप्ति में आने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई है, इस

टंकणकर्ता
कोटा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कारण प्रतिवादीगण द्वारा अपीलांट के पक्ष में रजिस्ट्री करवाने से मना करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में विधि अनुसार घोषणा का वाद, कब्जा मुखालफाना के सिद्धांत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया गया था, जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है जो कि वादीगण अपीलांट का उक्त कृषि आराजियात में स्वत्व, हित व अधिकार निहित है, तथा अपीलांट सहखातेदार है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर देकर तनकीयात कायम कर वाद को मेरिट पर निर्णित किया जाना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर न कर वादीगण अपीलांट का वाद खारिज किया है, जो विधि विरूद्ध एवं पूर्णरूप से अवैधानिक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2019 को खारिज कर वादीगण का वाद वास्तु पुनः सुनवाई हेतु निर्देशित करते हुए वाद में तनकीयात कायम करने व साक्ष्य तथा सुनवाई के बाद ही गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु आदेश प्रदान करें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर. बी. जे. (23) 2016 पेज 514 से 516, आर आर टी 2017 (2) पेज 1100 से 1102 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 में अंकित किया है कि वादी का वाद संख्या 753/2017 घनश्याम बनाम द्वारकालाल चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया है जो उचित है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ☆ कोटा ☆

25/7/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा